न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 316/2026

विजय प्रसाद वर्मा व 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

राजगीर थाना कांड सं0 734/2025

अंतर्गत धारा 126(2), 127, 115(2), 85, 3(5) B.N.S & ¾ D.P Act

06.03.2026

अभियुक्त **विजय प्रसाद वर्मा एवं आभा देवी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री कामेश प्रसाद तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार एवं सूचिका के निजी अधिवक्ता श्री विश्वनाथ प्रसाद का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

परिवादिनी/सूचिका का अपने आवेदन में कथन है कि उसकी शादी श्री गणेश कुमार वर्मा के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार 28.05.2023 को हुआ था। शादी में उपहारस्वरूप उनके माता–पिता द्वारा छः लाख रूपया, सोने की चेन, अंगूठी व अन्य सामान दिया गया। शादी के कुछ दिन बाद दिनांक 04.06.2023 को जब उनका छोटा भाई शिशुपाल कुमार रोही सूचिका एवं उनके पति को लेने आया तो उनके ससुर द्वारा टीवी, फ्रिज एंव बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की गई। दिनांक 09.06.2023 को उनके पति राजगीर आकर उनके पिता से बुलेट मोटरसाइकिल के लिए दो लाख रूपया लेने के बाद ससुराल वापस आ गए। इसके बाद सास–ससुरा द्वारा अन्य सामग्री के लिए मानसिक प्रताड़ना एवं गाली–गलौज करने लगे। उसके बाद उनके पति द्वारा चार लाख रूपया मांगने का दबाव बनाने लगे तथा मायके में छोड़कर चले गए। जब सूचिका अपने भाई के साथ ससुराल आई तो उन्हें वहां घुसने नहीं दिया। किसी तरह थाने में ससुर एवं पति को बुलाकर सुलह–समझौता हुआ। उसके बाद सूचिका को उसके पति उड़ीसा लेकर चले गए। जहां उनके पति किसी अन्य महिला से बातचीत करते थे जिसका विरोध करने पर दिनांक 08.06.2025 को सूचिका के साथ मारपीट किए। दिनांक 23.10.25 को जब उनके पति उसे ससुराल लेकर आए तो सास–ससुर ने घर नहीं घुसने दिया तथा पूर्व की मांगों पर डटे रहे। दिनांक 29.10.2025 को उनके पति द्वारा सूचिका को जमीन पर पटकर उसका गला दबाने का प्रयास किया जाने लगा, उनकी ननद रिया वर्मा ने हाथ मड़ोरा तथा बड़े भाई गोपाल वर्मा ने बोला कि ऐसा मारो की चोट का पता न चले। दिनांक 10. 11.2025 को उनके पति उसे ओड़िसा लेकर चले गए तथा बोले कि तुम्हारा भाई अगर नौकरी नहीं लगाएगा तो तुमको नहीं रखेगे। दिनांक 20.12.25 को सूचिका का सारा गहना छीनकर मारपीट किए । उसके बाद सूचिका ने अपने भाई को बुलाया जिन्होंन ईलाज कराकर उनके मायके ले गए।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण को झूठे व गलत आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । उनका यह भी कथन है कि

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 316/2026

विजय प्रसाद वर्मा व 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

राजगीर थाना कांड सं0 734/2025

अंतर्गत धारा 126(2), 127, 115(2), 85, 3(5) B.N.S & ¾ D.P Act

लगातार

06.03.2026

आवेदकगण सूचिका/परिवादिनी के ससुर एवं सास हैं । आवेदकगण द्वारा सूचिका/पीड़िता को प्रताड़ित कर दहेज की मांग नहीं किया गया है । आवेदकगण सूचिका तथा उसके पति से अलग रहते है । उनका यह भी कथन है कि लिखित आवेदन में आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट अभिकथन नहीं किया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य है । आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफतार किये जाने की संभावना है । आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदकगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक तथा सूचिका के निजी अधिवक्ता आवेदकगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं ।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि आवेदकगण सूचिका/परिवादिनी के ससुर एवं सास हैं । आवेदकगण सूचिका तथा उसके पति से अलग रहते है । यह भी विदित होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य एवं बहुप्रयोज्य है । आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है ।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदकगण को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0, 2023 की धारा 482 में उल्लेखित शर्तों के अधीन, आवेदकगण को 10,000/– रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश,
नालन्दा, बिहारशरीफ।